कार्यालय– जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा

फ्राई कैचिंग नेट हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

एतद् द्वारा जाल आपूर्त्तिकर्त्ताओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021–22 में राज्य योजना के अन्तर्गत निबंधित मत्स्य बीज उत्पादकों को फ्राई कैचिंग नेट की आपूर्ति किया जाना है। इस प्रयोजानर्थ जाल आपूर्तिकत्ताओं से निम्नांकित कंडिकाओ के अधीन अल्पकालीन दर आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक जाल आपूर्तिकताओं से जाल आपूर्ति हेतु निविदा दिनांक 09.07.2021 के अपराह्न 1.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किया जायेगा।

आवश्यक शर्त्तें

1. फ्राई कैचिंग नेट 100 फीट लम्बाई X 15 फीट चौडाई (30.48 मीटर X 4.55 मीटर) का होना अनिवार्य है।
2. फ्राई कैचिंग नेट प्रति मीटर (1 मीटर X 4.55 मीटर) का मूल्य 65.62 रू0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. फ्राई कैचिंग नेट में उपर एवं नीचे नायलॉन का रस्सी दस फीट की दुरी पर फ्लोट लगाना अनिवार्य होगा।
4. फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति हेतु जाल का साईज एंव संख्या स्वीकृत दर के अनुरूप सफल निविदादाता को कार्यादेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
5. आमंत्रित दर के साथ जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा के पदनाम से देय मो0 25,000/– रू0 मात्र का B/D संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को पैन नंबर की अभिप्रमाणित छाया–प्रति एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTin)की अभिप्रमाणित छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
7. आपूर्ति हेतु तैयार एक मीटर लम्बाई का फ्राई कैंचिग नेट का नमूना दर आमंत्रण के साथ अलग से आपूर्तिकर्त्ता के नाम व पता का टैग लगाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। फ्राई कैंचिग नेट का चौडाई आपूर्तिकर्त्ता को अपने स्वेच्छानुरूप प्रस्तुत करना होगा।
8. इस दर आमंत्रण को स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार निविदा समिति के अधीन होगा।
9. प्रथम सफल निविदाता द्वारा किसी कारणवश आयोग्य पाए जाने की स्थिति में दूसरे सफल निविदाता को समाग्री आपूर्ति का अधिकार आवंटित किया जा सकेगा है।
10. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं ब्योरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. आयकर रिटर्न वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक का देना अनिवार्य होगा।
13. (GSTin) रिटर्न वर्ष 2020–21 की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. निविदा दो अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा, एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखें जाएगें तथा इस लिफाफे पर तकनिकी प्रस्ताव अंकित किया जाऐगा। इस लिफाफे में तकनिकी विवरणी के अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के रूप में राशि मो0 – 25,000/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा किया गया हो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगतेय होगा एवं दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र, दर प्रस्ताव, डयूटी शूल्क वैट, परिवहन व्यय संहित रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय प्रस्ताव अंकित किया जायेगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में से डाल कर जिला सामग्री के लिए निविदा है। उसका नाम अंकित कर तथा लिफाफे मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना है। निविदा कमिटि द्वारा प्रस्तुत तकनिकी निविदा पहले खोली जायेगी। तकनिकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी, इस लिए वित्तीय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दों में अंकित होना चाहिए तथा आपूर्तिकर्त्ता/ संबंधित उपक्रम की मुहर होनी चाहिए।
15. निविदा के साथ संलग्न सभी प्रतियाँ / छायाप्रतियाँ स्वअभिप्रमाणि होना आवश्यक है।
16. निविदा की सभी शर्ते विभागीय राज्यादेश 01 दिनांक 07.06.2021 के अनुसार होगा। निदेशक मत्स्य, झारखण्ड राँची के पत्रांक 648 दिनांक 21.05.2021 के आलोक में निविदा का प्रकाशन की जा रही है।
17. बिना कारण बताए निविदा समिति के पास निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. COVID-19 में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार मास्क का प्रयोग एवं दो गज की दूरी बनाकर निविदा में भाग लेगें।
19. निविदा प्राप्ति की तिथि दिनांक 09.07.2021 के अपराह्न 1.00 बजे जिला मत्स्य कार्यालय, जामताड़ा में स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन निविदा 3.00 बजे अपराह्न में उप विकास आयुक्त, जामताड़ा के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। आपूर्तिकर्त्ता एवं उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा में भाग ले सकते है।

28/06/2021

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
जामताड़ा
28.6.2021